

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 7th August, 2013

Notification

S.O. It is hereby notified for general information that "National Institute of Mental Health and Neuro Science(NIMHANS) Bangalore, (PAN-AABTN6120B) has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), for 2012-2013 onwards in the category of 'University, College or Other Institution', subject to the following conditions, namely:-

- SW. Ajay
- (i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
 - (ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
 - (iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;
 - (iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research in respect of concerned Departments and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-

- (a) fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

(Richa Rastogi)

Under Secretary to the Government of India
(F.No.203/36/2012-ITA-II)

Notification No. 60/2013

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy forwarded to:

1. The applicant "National Institute of Mental Health and Neuro Science(NIMHANS) Bangalore,
2. CCIT-I, Bangalore
3. CIT, Bangalore
4. Comptroller & Auditor General of India.
5. Concerned File
6. Ministry of Law & Justice (Correction Section), New Delhi.
7. DIT(Systems), New Delhi, for placing on the website : incometaxindia.gov.in
8. Guard file. (PAN : (PAN-AABTN6120B)
9. ITCC, CBDT (4 copies).

(Richa Rastogi)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक: 7~~44~~ अगस्त, 2013


अधिसूचना

का.आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (एनआईएमएचएनएस), बंगलौर, (पैन-एएबीटीएन6120बी) को 2012-13 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामतः-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा, जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही की लेखा-परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और संबंधित विभागों के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अलग लेखा बही रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को सही नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा और उनका पालन नहीं करेगा।



(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. 203/36/2012/आ.क.नि.-11)

अधिसूचना सं. 60 /2013

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।